<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 01.11.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद सोने की चेन व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

दिनांक 31.10.2024 को वादिनी प्रतिमा शुक्ला पत्नी देवेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी राधानगर, बिलग्राम चुंगी जनपद हरदोई द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 31.10.2024 को मार्केट से पैदल घर जाते समय एक व्यक्ति गले से सोने की चेन छीनकर भाग गया। उक्त तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 974/24 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना का अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सुमित त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आवश्यक निर्देश दिये गये। इसी क्रम में आज दिनांक 01.11.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार पर शातिर अभियुक्त बुधराम उर्फ बुद्धा पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम केसरीपुर मौजा छेदा थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी को ग्राम ओबरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से सोने की चेन व घटना मे प्रयुक्त एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर UP 41 K 2248 बरामद किया गया।

पूछताछ में ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त बुधराम उर्फ बुद्धा उपरोक्त ने अपने अन्य साथी छोटकन्नू निवासी ग्राम धनवरिया थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर दिनांक 31.10.2024 को रेलवे हॉस्पिटल मॉल गोदाम रोड से एक महिला से सोने की चेन छीन ली थी। घटना कारित करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अभियुक्त बुधराम उर्फ बुद्धा द्वारा दिनांक 03.10.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र कचहरी के पास से चोरी किया गया था, तथा अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल कूट रचित नम्बर प्लेट लगाकर उपयोग मे लायी जा रही थी। उक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 875/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। तथा अभियोग उपरोक्त में धारा 309(4)/317(2)/319(2)/318(4)/388/336(3)/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद में आधा दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है। अन्य वांछित अभियुक्त छोटकन्नू उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

बुधराम उर्फ बुद्धा पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम केसरीपुर मौजा छेदा थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी

<u>नाम पता वांक्षित अभियुक्त-</u>

छोटकन्नू पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम धनवरिया थाना मो0पुर खाला

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 166/2021 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 292/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
3. मु0अ0सं0 469/2021 धारा 380/411 भादवि थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0 484/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
5. मु0अ0सं0 875/2024 धारा 303(2)/317(2)/319(2)/318(4)/388/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
6. मु0अ0सं0 974/24 धारा 309(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 अदद सोने की चेन
2. 01 अदद मोटरसाइकिल हिरो स्प्लेण्डर

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक मणि त्रिपाठी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
2. उ0नि0 श्री मृदुल मयंक पाण्डेय थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
3. का0 वैभव तोमर, का0 प्रफुल्ल पाठक, का0 संदीप यादव थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी